

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक ७३/३१०२७/

पटना, दिनांक ३१.१२.१९

सं० सं०-०५/उ० नि० ब० (आवंटन) ११/२०१८

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

मुख्यशीर्ष-२८५२-उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-०८ उपभोक्ता उद्योग, लघुशीर्ष-७९६-जनजातिय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-२३, उपशीर्ष-०१०१-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-२३-२८५२०८७९६०१०१, विषय शीर्ष ०१०१.३१.०६ सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमिता विकास संस्थान, पटना द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवकों/युवतियों को वस्त्र बुनाई में गैर-आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल रू० १०,६७,५२०.०० (दस लाख सड़सठ हजार पांच सौ बीस रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक ४७८३ दि० २८.१२.२०१८ के आलोक में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में रू० १०,६७,५२०.०० (दस लाख सड़सठ हजार पांच सौ बीस रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

- २ इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में राज्य योजना आय-व्ययक शीर्ष २८५२-उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-०८ उपभोक्ता उद्योग, लघुशीर्ष-७९६-जनजातिय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-२३, उपशीर्ष-०१०१-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-२३-२८५२०८७९६०१०१, विषय शीर्ष ०१०१.३१.०६ सहायक अनुदान-गैर-वेतन मद से विकलित होगा।
- ३ राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक २५६१ वि०(२) दिनांक १७ अप्रैल, १९९८ एवं समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- ४ राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-१ के नियम ४७५ का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
(ग) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।
- ५ व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
- ६ उक्त आवंटित राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन ३१ मार्च २०१९ तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक 68/3119

पटना, दिनांक 31.12.18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 68/3110

पटना, दिनांक 31.12.18

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आईटी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।